संख्या-104/2026/908/सैंतीस-2-2026-1(12)/2022-1393533

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-08 मई, 2026

विषयः-**अनुदान संख्या 15 के अधीन बकरी पालन की योजना (रा.90/ला.10) के संचालन हेतु गाइडलाईन्स।**

महोदय,

प्रदेश के सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, विधवा, निराश्रित महिलाओं की आय में वृद्धि एवं बकरी पालन के कार्य को प्रोत्साहन देकर कुपोषण से बचाव के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **अनुदान संख्या 15 के अधीन** संचालित **बकरी पालन की योजना (रा.90/ला.10) की** गाइडलाइन्स निम्नवत् है:-

अनुदान संख्या-15 के अधीन बकरी पालन योजना (रा.यो.) (रा.90+ला.10)

1. योजना की पृष्ठभूमि :-

उत्तर प्रदेश में अधिकांश बकरी पालक भूमिहीन, सीमान्त कृषक तथा कृषि मजदूर के रुप में जीवनयापन कर रहे हैं। प्रदेश में बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ व्यवसाय है।इस व्यवसाय से प्राप्त दूध व माँस आय एवं पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। बकरी पालन न्यूनतम जोखिम व अधिकतम लाभ का व्यवसाय है। बकरी पालन के माध्यम से सभी जातियों के निम्न स्तर के पशुपालकों के आर्थिक स्तर में सुधार की प्रबल सम्भावना है। इससे उत्तर प्रदेश में बकरी पालन से पशुपालकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी।

2. योजना का उद्देश्यः

प्रदेश के सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, विधवा, निराश्रित महिलाओं की आय में वृद्धि एवं बकरी पालन के कार्य को प्रोत्साहन देकर कुपोषण से बचाव के लिए आत्मनिर्भर बनाने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उद्देश्य से बकरी पालन की योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना के क्रियान्वयन से बकरी माँस एवं दूध का उत्पादन बढ़ने से प्रदेश की कुल सकल आय में वृद्धि होगी एवं प्रदेश के बेरोजागार परिवारों को रोजगार प्राप्त होगा व उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी सुधार आयेगा।

3. <u>योजना का स्वरुपः-</u>

अनुदान संख्या 15 के अधीन बकरी पालन की योजना (राज्यांश 90, लाभार्थी अंश 10) उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में बजट उपलब्धता के आधार पर बकरी इकाईयों की स्थापना कर संचालित की जायेगी। बकरी पालन हेतु दिशा निर्देश के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। प्रति इकाई 01 नर व 05 मादा बकरी क्रय करायी जायेगी। प्रति इकाई लागत रू0 60000/- है, जिसमें राज्यांश (90 प्रतिशत) रू0 54000/- एवं लाभार्थी अंश (10 प्रतिशत) रू0 6000/- है।

योजनान्तर्गत 01 नर का मूल्य रू0 10000/- एवं 01 मादा का मूल्य रू0 9000/- निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि से नर एवं मादा का क्रय, बीमा व चिकित्सा तथा परिवहन का कार्य किया जायेगा।

4. <u>योजना का आच्छादन क्षेत्रः-</u>

योजना उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में संचालित की जानी है।

5. <u>योजना का लक्ष्यः-</u>

प्रदेश के 75 जनपदों में प्रति जनपद में बजट उपलब्धतानुसार बकरी इकाईयों को स्थापित करने का लक्ष्य योजनान्तर्गत निर्धारित किया जायेगा। आकांक्षी जनपदों एवं नेपाल बार्डर सीमा के जनपदों को वरीयता दी जायेगी।

6. <u>लाभार्थियों की पात्रताः-</u>

योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के जनपद के निवासी समस्त वर्ग के जन सामान्य लाभार्थियों का चयन किया जायेगा, जिसमें भूमिहीन महिला/पुरूष, विधवा, निराश्रित महिला, बेरोजगार परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन प्रक्रिया में उपलब्धतानुसार 03 प्रतिशत दिव्यांगजन को सम्मिलित किया जायेगा। भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र, इटावा एवं केन्द्रीय बकरी अनुसन्धान संस्थान फराह, मखदूम, मथुरा या दुवासु मथुरा से बकरी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को वरीयता के अनुसार चयनित किया जायेगा। उपलब्धतानुसार विधवा निराश्रित महिला को प्राथमिकता दी जायेगी। लाभार्थी चयन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थी का चयन कर प्रतीक्षा सूची बनायी जायेगी।

7. <u>लाभार्थी का चयनः-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन निर्धारित जनपदीय लक्ष्यानुसार ग्रामीण स्तर पर प्रारुप-1 के अनुसार तथा जिले स्तर पर लाभार्थियों का चयन प्रारूप-2 के अनुसार किया जायेगा।

7.1 आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये जायेगेः-

1. आधार कार्ड।
2. बैंक पास बुक की छायाप्रति।
3. बकरी पालन प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)।
4. बकरी इकाई को न्यूनतम 03 वर्ष तक संचालित करने का शपथ पत्र रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर।

7.2 <u>ग्रामीण स्तर पर लाभार्थियों के चयन हेतु समितिः-</u>

लाभार्थियों के चयन हेतु ग्रामीण स्तरीय समिति निम्नवत होगी :-

1.	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	अध्यक्ष
2.	सबंधित पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
3.	ग्राम प्रधान	सदस्य

7.3 आवेदन पत्र सम्बन्धित ग्राम प्रधान से अग्रसारित कराकर क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी के पास जमा किया जायेगा, जो आवेदक के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर व बकरियों को रखे जाने के स्थान का स्थलीय सत्यापन कर आवेदन को उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। पात्रता के परीक्षणोपरान्त संस्तुति सहित आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा 15 दिन के अन्दर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

7.4 <u>जनपद स्तर पर लाभार्थियों के चयन हेतु समितिः-</u>

लाभार्थियों के चयन हेतु जनपद स्तरीय समिति निम्नवत् होगी-:

1.	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
3.	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुधन विकास	सदस्य

जिला स्तर पर ग्रामीण स्तर से प्राप्त आवेदकों की सूची के आधार पर लक्ष्य से 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थियों का चयन कर प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयनित लाभार्थियों की सूची प्रारूप-2 पर चयन समिति द्वारा हस्ताक्षरित कर निदेशालय को प्रेषित की जायेगी, जिसको विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा। चयन समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, राष्ट्रीय आजाविका मिशन के इच्छुक एवं कुशल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बकरी पालकों को भी चयनित कर सकते हैं। जिन्हें पिछले 03 वर्षों में बकरी पालन योजनान्तर्गत चयन कर योजना का लाभ दिया जा चुका है, उनका चयन वर्तमान में योजनान्तर्गत नहीं किया जायेगा।

ग्रामीण स्तर पर लाभार्थी चयन का प्रारुप-1

जनपद का नामः- **वित्तीय वर्ष :-**

योजना का नामः-

क्र0 सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	जाति/ वर्ग	ग्राम/ वि0ख0	मो0 नं0	आधार संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ग्राम प्रधान ह0/- पशुचिकित्साधिकारी ह0/- उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी ह0/-

जिला स्तर पर लाभार्थी चयन का प्रारुप-2

जनपद का नामः- **वित्तीय वर्ष :-**

योजना का नामः-

क्र0 सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	जाति/ वर्ग	ग्राम/ वि0ख0	मो0 नं0	आधार संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी ह0/- मु0पशुचिकित्साधिकारी ह0/- मु0 विकास अधिकारी ह0/-

8. **प्रति इकाई लागत का भुगतानः-**

प्रति इकाई 05 मादा व 01 नर बकरी लागत धनराशि रू0 60000/- में 90 प्रतिशत अनुदान/प्रोत्साहन धनराशि रू0 54000/-, लाभार्थी अंश रु0 6000/- होगा।

योजनान्तर्गत प्रति इकाई लागत का विवरण

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	राज्यांश	लाभार्थी अंश	कुल धनराशि रू0 में
1	नर वयस्क बकरा (रू0 10000/- प्रति बकरा)	01	9000.00	1000.00	10000.00
2	मादा बकरियां (रू0 9000/- प्रति	05	40000.00	5000.00	45000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	बकरी)				
3	बीमा 7.5 प्रतिशत की दर से (लगभग)	06	5000.00	-	5000.00
	इकाई लागत	01	54000.00	6000.00	60000.00

8.1- प्रति इकाई 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश रू0 6000/- है, जो चयनित लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में जमा किये जायेगें। जमा की गयी धनराशि का विवरण प्राप्त कर पासबुक की छायाप्रति पत्रावली में संरक्षित की जायेगी।

8.2- चयनित लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि रू0 6000/- जमा करने के (संबंधित धनराशि का विवरण प्राप्त होने पर) उपरान्त ही प्रति इकाई परिवहन तथा बीमा हेतु 42-अन्य व्यय मद में रू0-5000/- को रोकते हुये मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद से रू0 49000/- का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जायेगा।

8.3- अनुदान के रूप में प्राप्त राज्यांश धनराशि रू0-49000/- एवं लाभार्थी अंश रु0-6000/- कुल धनराशि रु0-55000/- से 01 नर व 05 मादा बकरियों का क्रय किया जायेगा।

8.4- लाभार्थी के खाते में धनराशि स्थानान्तरित होने के 20 दिन के अन्दर पशुओं का क्रय कर इकाई का संचालन किया जायेगा।

8.5- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रति इकाई अवशेष धनराशि रू0-5000/- से बकरा /बकरियों का एक वर्ष का बीमा कराने के उपरान्त अवशेष धनराशि से बकरियों का परिवहन व बर्तन आदि का क्रय समायोजित किया जायेगा।

9. <u>इकाई क्रियान्वयनः-</u>

9.1- मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में आबंटित की जाने वाली धनराशि रू0-49000/- एवं लाभार्थी अंश धनराशि रू0-6000/- (कुल धनराशि रू0-55000/-) से प्रति इकाई निर्धारित बकरियों (बरबरी/बीटल/ब्लैक बंगाल/अन्य स्थापित नस्ल) का क्रय राजकीय प्रक्षेत्रों, भारत सरकार के बकरी प्रक्षेत्रों से किया जायेगा। अनुपलब्धता की स्थिति में क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी के पर्यवेक्षण में ही स्थानीय बाजार से क्रय किया जा सकता है।

9.2- मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में प्रति इकाई आवंटित की जाने वाली धनराशि रू0-1500/- के सापेक्ष नियमानुसार औषधि तथा रसायन का क्रय सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा करने के उपरान्त चयनित लाभार्थियों को प्रति इकाई की दर से

उपलब्ध करा दी जाय, जिसकी प्राप्ति रसीद की मूल प्रति मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अपने कार्यालय में संरक्षित करना सुनिश्चित करेगें।

9.3- मानक मद 42-अन्य व्यय में प्रति इकाई आवंटित धनराशि रू0-5000/- से क्रय किये गये पशुओं का पशुचिकित्साधिकारी के सहयोग से बीमा कराया जायेगा। बीमा कम्पनी के चयन में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों को प्राथमिकता दी जायेगी। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि से एक वर्ष का ही बीमा कराया जाये। आगामी वर्ष का बीमा लाभार्थी द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से कराया जायेगा।

9.4- चयनित लाभार्थी को प्रति इकाई उपलब्ध करायी गयी औषधि से पशुओं को क्रय किये जाने के पश्चात तत्काल चिकित्सा/दवापान कराया जाय तथा छः माह बाद दूसरी बार चिकित्सा/दवापान कराने हेतु निकटतम पशुचिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी को निर्देश दिये जायें तथा पशुओं का समय-समय पर आवश्यक टीकाकरण वरीयता के आधार पर कराया जाये।

9.5- योजनान्तर्गत स्थापित की गयी इकाई का निरन्तर अनुश्रवण किया जाये तथा रिकार्ड रखा जाये।

9.6- चयनित लाभार्थी को अवगत कराया जाय कि स्थापित इकाई में यदि किसी पशु की मृत्यु होती है तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पशुचिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित बीमा कंपनी को उपलब्ध करायी जाये। सर्वे उपरान्त पशुचिकित्साधिकारी द्वारा मृत पशुओं का शव परीक्षण कर बीमा क्लेम हेतु दावा प्रस्तुत कर निस्तारण कराया जाय।

9.7- बीमा क्लेम प्राप्त होने पर उस धनराशि से नये पशु का क्रय कर लिया जाये।

10. <u>योजना का पर्यवेक्षण :-</u>

योजनान्तर्गत संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों एवं अपर निदेशक ग्रेड-।। द्वारा स्थापित इकाई का समय-समय पर निरीक्षण किया जाये। योजनान्तर्गत आवंटित की जाने वाली धनराशि का उपयोग उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के इतर धनराशि व्यय करना वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आयेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-104/2026/908(1)/सैंतीस-2-2026-1(12)/2022-1393533, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।